संख्या-10/2017/1346/41-2016-48 यो0/13

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन,उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 31 जनवरी, 2017

विषय-केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में स्थित पंचवटी, हनुमान चबूतरा एवं गहमरी पार्क के पर्यटन विकास की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-599/6-1-1(465)/2016, दिनांक 28-07-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गाजीपुर में स्थित पंचवटी, हनुमान चबूतरा एवं गहमरी पार्क के पर्यटन विकास की योजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 318.08 लाख (रूपये तीन करोड अट्ठारह लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में स्थित पंचवटी, हनुमान चबूतरा एवं गहमरी पार्क के पर्यटन विकास की योजना हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 641.16 लाख (रूपये छः करोड इकतालीस लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 44/2018/41-2014-48 यो0/13, दिनांक 26.09.2014 द्वारा प्रदान की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद गाजीपुर में स्थित पंचवटी, हनुमान चबूतरा एवं गहमरी पार्क के पर्यटन विकास की योजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 636.16 लाख की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 318.08 लाख (रूपये तीन करोड अट्ठारह लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-155/2015/3549/41-2015-48 यो0/ दिनांक 23.11.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजीपुर में स्थित पंचवटी, हनुमान चबूतरा एवं गहमरी पार्क के पर्यटन विकास की योजना के शेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवशेष धनराशि रू0 318.08 लाख (रूपये तीन करोड अट्ठारह लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उक्त योजना में उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र सं0- 5 पीएनसी (27)/2013, दिनांक 04-03-2013 में उल्लिखित कार्यमदों तथा उसमें निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को प्रदान किये जाने के पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का शतप्रतिशत उपयोग कर लिया गया है तथा उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है एवं कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

(3) प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे आवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(7) योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्परीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने हेतु प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन के दृष्टिगत प्रभावी आचार संहिता का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/20156/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22-03-2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-10/2017/1346 (1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
7- मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई विभाग वाराणसी।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।